न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 05/2020
प्रकरण दर्ज तिथि :– 17.07.2020

1. भॅवरसिंह पुत्र श्री शिवसिंह, उम्र–व्यस्क,
2. मदनसिंह पुत्र श्री शिवसिंह, उम्र–व्यस्क,
3. रतनसिह पुत्र श्री शंभुसिंह, उम्र–व्यस्क,
4. राधादेवी पत्नि शभुसिंह, उम्र–व्यस्क,
5. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह, उम्र–व्यस्क,
6. करणसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह, उम्र–व्यस्क,
7. पानीदेवी पत्नि श्री प्रेमसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–रावणा राजपुत,
8. सुकडी पत्नि श्री नारायण, उम्र–व्यस्क, जाति सीरवी, निवासीगण–देवली कलां तहसील –रायपुर, जिला–पाली (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवाराम पुत्र श्री भोलाराम, उम्र–व्यस्क,
2. तुलसीराम पुत्र श्री बाबुलाल, उम्र–व्यस्क,
3. तिलोकराम पुत्र श्री बाबुलाल, उम्र–व्यस्क,
4. रूपाराम पुत्र श्री बाबुलाल, उम्र–व्यस्क,
5. पुनाराम पुत्र श्री दोला, उम्र–व्यस्क,
6. नेमाराम पुत्र श्री लाबुराम, उम्र–व्यस्क,
7. जोगाराम पुत्र श्री लाबुराम, उम्र–व्यस्क,
8. ओमप्रकाश पुत्र श्री लाबुराम, उम्र–व्यस्क,
9. गेन्दादेवी पत्नि श्री लाबुराम, उम्र–व्यस्क,
10. दुदाराम पुत्र श्री नारायण, उम्र–व्यस्क,
11. दलपतराम पुत्र श्री नारायण, उम्र–व्यस्क,
12. पानी पत्नि श्री नारायण, उम्र–व्यस्क,
13. कालुराम पुत्र श्री पाबुराम, उम्र–व्यस्क,
14. केसूराम पुत्र श्री पाबुराम, उम्र–व्यस्क,
15. भंवरलाल पुत्र श्री पाबुराम, उम्र–व्यस्क, समस्त अप्रार्थीगण जाति–जाट, निवासीगण– देवलींकलां, तहसील–रायपुर, जिला–पाली (राज.)
16. करणीदान पुत्र तिलोकदान, उम्र–व्यस्क, जाति–चारण, निवासी–बाडमेर, (डिलीट)
17. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर, जिला पाली

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते सीमांकन एवं पत्थरगड्डी अन्तर्गत धारा 111,128 आर एल आर एक्ट

उपस्थित : 1. श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता प्रार्थी
2 अप्रार्थी अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 14.05.2022**

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम देवलींकला पटवार हल्का देवलीकलां, भू. अभि. नि. क्षैत्र देवलीकलां, तहसील रायपुर में निम्न वर्णीत आराजीयात स्थित है:–

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

खाता संख्या नया	खाता संख्या पुराना	खसरा संख्या	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म
670	654	1345	28—14	चाही सोयम
		1346	00—10	गै. मु. रेत
		1347	00—08	गै. मु. नाडा
		1349	38—02	चाही सोयम
		1352	03—11	चाही सोयम

कुल खसरा : 5 कुल रकबा : 71 बिघा 05 बिस्वा

उपरोक्त वर्णीत आराजीयात की सवत् 2072—2075 की जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेश एवं पटवारी हल्का
देवलीकलां, पटवारी मोहराकलां, भु. अभि. निरि. देवलीकलां भु. अभि. निरि पिपलियांकलां की सींमाकन
बाबत् पालना रिर्पोट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिसे उक्त प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना
जावें। प्रार्थना पत्र उपरोक्त भुमि को विवादित आराजीयात के नाम से जाना जाएगा। प्रार्थीगण की उक्त
विवादित भुमि खातेदारी भुमि है। उक्त भुमि पर प्रार्थीगण का बिना रोक टोक कब्जा काश्त चला आ रहे है
एवं प्रार्थीगण की भुमि पर वक्त सेटलमेन्ट से पुर्व माट कायम की हुई थी एवं राजस्व रेकर्ड मे तरमीन है
जो कब्जा अनुसार सही है। जिस अनुसार प्रार्थीगण काबिज होकर बिना रोकटोक काश्त कर रहे है। परन्तु
पडोसी खातेदार अप्रार्थीगण हर मौसम की फसल पर माठ को क्षतिग्रस्त कर नयी माठ कायम कर देते थे।
जिससे प्रार्थीगण परेशान होकर अपनी खातेदारी भुमि को सेटलाईट नक्शे से सुपरइम्पोज्ड करवाया जिससे
प्रार्थीगण की भुमि मौके पर राजस्व रेकर्ड अनुसार होकर कम होने की जानकारी मिली। तब प्रार्थीगण ने
हल्का पटवारी को नापचोप का निवेदन किया जिससे प्रार्थीगण अपने हिस्से कि भुमि तक तारबंदी करवा
कर खातेदारी भुमि के फायदे ले सके एवं भाविष्य मे अप्रार्थीगण से लडाई से बचा जा सकें। जिस पर
हल्का पटवारी ने अप्रार्थी स. 17 के यहा से सीमाकंन का आदेश मय टीम लाकर देने को कहा। उक्त
आदेश हेतु प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 17 के यहा सीमाकन हेतु आवेदन पेश कर नियमानुसार शुल्क राजस्थान
सरकार के खाते मे जमा करा दिये तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक क्रमांक/भु. अभि./सी.अ.
/2020/17 दिंनाक 09/06/2020 को हल्का पटवारी मोहराकलां, पटवारी हल्का देवलीकलां, भु. अभि.
निरि. पिपलियां कलां, एवं भु. अभि. निरि देवलीकलां को सींमाकन करने हेतु आदेश दिया जिसकी पालना
मे हल्का पटवारी मोहराकलां, पटवारी हल्का देवलीकलां, भु. अभि. निरि. पिपलियां कलां, एवं भु. अभि. निरि
देवलीकलां मिलकर दिंनाक 20/06/2020 को सींमाकन करने मौके पर पहूचे तब राजस्व टीम द्वारा सं.
सं. 1579, 1580 की माठ ख. सं. 1340 के केन्द्र बिन्दु से ख. सं. 1340 व 1345 के मध्य माठ का दक्षिणि
बिन्दु तथाजरीब चलाकर माठ पर निशान लगाया। यह बिन्दु वर्तमान मौका माठ से भिन्न स्थान पर आने से
विपरित दिशा से मिलान करने हेतु जरीब शुरू करते समय खसरा सं. 1340 के खातेदार नेमाराम पुत्र
लाबुराम, पूनाराम पुत्र श्री दोलाराम के साथ अन्य अप्रार्थीगण न यह कहकर सीमाज्ञान की कार्यवाही
रूकवायी की आप हमारी भुमि नही नाप सकते एवं जोर जोर से बोलने लग गये एवं गठित टीम को
सींमाकन नही करने दिया एंव मौके पर विवाद उत्पन्न कर दिया जिस पर गठित टीम ने सींमाकन करने
से मना कर दिया एवं मौके पर विवाद होने की रिर्पोट बनाकर पेश कर दी। तब प्रार्थीगण ने टीम से पुनः
निवेदन किया तो गठित टीम ने बताया की न्यायलय से सींमाकन एवं पत्थर गड्डी के आदेश मय पुलिस
इमदाद के लाकर देने पर ही सींमाकन किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने कि आवश्यकता उत्पन्न हुई। उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थीगण सं. 17 को आदेशित किया जावे कि उक्त विवादित भुमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार सींमाकन कर सीमाकन अनुसार प्रार्थीगण की भुमि मे पत्थरगड्डी करवाने तक मौके पर अपनी उपस्थिति रखे जिससे प्रार्थीगण को भाविष्य मे होने वाले आर्थिक नुकसान से, अप्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारो से लडाई झगडै से बचा जा सकें। एवं प्रार्थीगण की भुमि पर कोई हक अधिकार नही जताये। उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भुमि श्रीमान के श्रवाणधिकार मे एवं श्रीमान के श्रेत्राधिकार मे है ।

प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र पर नियत न्यायशुल्क पेश है। अप्रार्थीगण विवादित भुमि के पडौसी खातेदार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। अतः जरिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी काश्त सुदा भुमि सरहद मौजा ग्राम देवलीकलां, पटवार हल्का देवली कला, भू. अभि. नि. क्षैत्र देवलीकलां, तहसील रायपुर के खसरा सं. 1345, 1346, 1347, 1349, 1352 रक्बा क्रमशः 28 बीघा 14 बिस्वा, 10 बिस्वा, 08 बिस्वा, 38 बीघा 02 बिस्वा व 03 बिघा 11 बिस्वा कुल भुमि 71 बिघा 05 बिस्वा खातेदारी भुमि का नाप चौप कर खेत की सीमा ज्ञात कर व पैमाईश करवाकर उक्त भुमि कि चारो ओर पत्थरगडी करवाया जाना कानुनी रुप से आवश्यक है जिस कारण विवादित भुमि का सींमाकन एवं पत्थर गड्डी करवाने का आदेश फरमाये, अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भुमि पर कब्जा नही करने हेतु पांबद करते हुए राजस्व रेकर्ड अनुसार नये सिरे से माठ कायम करने का आदेश फरमावे ताकि मौके पर शाति व्यवस्था बनी रहै एवं आवश्यकता होने पर पुलिस प्रशासन भी उपलब्ध करवाये। जिसका हर्जा खर्चा राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित राशि प्रार्थीगण नियमानुसार भुगतान करने हेतु तैयार एवं वचनबद्व रहेगें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01,05,06,10 की ओर अधिवक्ता श्री फिरोज खान ने वकालतनामा पेश किया। दौराने बहस आवाजे दिलवाने के बावजूद अनुपस्थित रहें। अप्रार्थी संख्या 02 से 04, 07 से 09, 11 से 15 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी की सरहद मौजा ग्राम देवलीकलां, पटवार हल्का देवली कला, भू. अभि. नि. क्षैत्र देवलीकलां, तहसील रायपुर के खसरा सं. 1345, 1346, 1347, 1349, 1352 रक्बा क्रमशः 28 बीघा 14 बिस्वा, 10 बिस्वा, 08 बिस्वा, 38 बीघा 02 बिस्वा व 03 बिघा 11 बिस्वा कुल भुमि 71 बिघा 05 बिस्वा के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं एंव अपने स्वामित्व की भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने का विधिक अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम देवलीकलां, पटवार हल्का देवली कला, भू. अभि. नि. क्षैत्र देवलीकलां, तहसील रायपुर के:-

खाता संख्या		खसरा संख्या	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म
नया	पुराना			
670	654	1345	28–14	चाही सोयम
		1346	00–10	गै. मु. तेड
		1347	00–08	गै. मु. नाडा
		1349	38–02	चाही सोयम
		1352	03–11	चाही सोयम

कुल खसरा : 5 कुल रकबा : 71 बिघा 05 बिस्वा

की उक्त कृषि भूमि में बाद विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को इस आदेश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त भूमि का सीमांकन शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी किया जावें एवं मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)